न्यायालयः–श्रीमती रेशमा बैरागी पटेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोण्डगांव

जिला–कोण्डागांव (छ०ग०)

//नवीन दांडिक कार्य विभाजन आदेश//

क्रमांक–क्यू/मु.न्या.मजि./2026 **कोण्डागांव दिनांक– 02/04/2026**

मैं श्रीमती रेशमा बैरागी पटेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोण्डागांव जिला कोण्डागांव (छ०ग०) पूर्व में जारी किये गये समस्त कार्य विभाजन संबंधी आदेशों को अधिष्ठित करते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 12(1) सहपठित धारा 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोण्डागांव के अधीन एवं नियंत्रण में रहते हुए सिविल जिला कोण्डागांव में पदस्थ समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दाण्डिक प्रकरणों के कार्य का विभाजन करते हुए निम्नानुसार दाण्डिक कार्य विभाजन आदेश जारी करती हूँ, जो माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय कोण्डागांव के अनुमोदन दिनांकसे प्रभावशाली होगे।

क्र०	स्तम्भ क्रं०–02	स्तम्भ क्रं०–03	स्तम्भ क्रं०–04
1	2	3	4
01	**श्रीमती रेशमा बैरागी पटेल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोण्डागांव जिला कोण्डागांव (छ०ग०)**	आरक्षी केन्द्र 1) कोण्डागांव, 2) फरसगांव 3) अनंतपुर 4) माकड़ी 5) बयानार 6) बड़ेडोंगर 7) मर्दापाल 8) उरंदाबेडा 9) पुंगारपाल 10)यातायात शाखा कोण्डागांव 11) आबकारी वृत कोण्डागांव	1. स्तंभ क्र०–3 के आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद एवं वन परिक्षेत्र से संबंधित उत्पन्न प्रकरणों का निराकरण करना तथा इन आरक्षी केन्द्रों से उदभूत होने वाले खात्मा एवं राजस्व जिला कोण्डागांव के समस्त आरक्षी केन्द्रों से उदभूत खारिजी हेतु प्रस्तुत प्रतिवेदन पर विधिपूर्ण कार्यवाही करते हुये खारिजी प्रकरणों का निराकरण करना। 2. राजस्व जिला कोण्डागांव के सभी आरक्षी केन्द्रों एवं सभी आबकारी वृत्तों के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न छ०ग० आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) से संबंधित समस्त प्रकरणों का निराकरण करना एवं आबकारी वृत्त कोण्डागांव द्वारा स्तंभ क्रमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों के स्थानीय क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रकरणों का निराकरण करना।

			3. राजस्व जिला कोण्डागांव से उत्पन्न होने वाले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं नमक अधिनियम 1944, विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम 1922, कम्पनी अधिनियम 1957, धनकर अधिनियम 1957, आयकर अधिनियम 1964, सीमाशुल्क अधिनियम 1962, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण एवं निरीक्षण) अधिनियम 1963, कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम 1964, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम 1969, विदेश मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973, माईनिंग अधिनियम 1952 का संज्ञान लेना एवं उनका निराकरण करना। 4. आरक्षी केन्द्र केशकाल, धनोरा, विश्रामपुरी, ईरागांव से उत्पन्न प्रकरणों एवं राजस्व जिला कोण्डागांव से उत्पन्न किशोर न्याय बोर्ड में विचारणीय प्रकरणों में धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत कथन एवं संस्वीकृति कथन लेखबद्ध करना। 5. ऐसे अन्य प्रकरण जो इस कार्य विभाजन आदेश में आबंटित नहीं है तथा ऐसे प्रकरण जो किसी विधि अधिनियम में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा ही विचारणीय है, उनका निराकरण करना। 6. माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय छ०ग० उच्च न्यायालय बिलासपुर, एवं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोण्डागांव द्वारा सौंपे गये समस्त कार्यो एवं मामलों का निराकरण करना। 7. अवकाश अवधि में स्तंभ क्र०–3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न होने वाले रिमाण्ड कार्य का संपादन। 8. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी केशकाल के क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्रों के धारा 52 (क)(2) स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदन की कार्यवाही /निराकरण करना।

क्र०	**स्तम्भ क्रं०–02**	**स्तम्भ क्रं०–03**	**स्तम्भ क्रं०–04**
02	**सुश्री सौम्या राय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, केशकाल, जिला कोण्डागांव (छ0ग0)**	आरक्षी केन्द्र 1) केशकाल 2) धनोरा 3) विश्रामपुरी 4) ईरागांव	1. स्तंभ क्र०–3 के आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद एवं वन परिक्षेत्र से संबंधित उत्पन्न प्रकरणों का निराकरण करना तथा इन आरक्षी केन्द्रों से उदभूत होने वाले खात्मा प्रकरणों का निराकरण करना। 2. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोण्डागांव एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोण्डागांव द्वारा सौंपे गये समस्त कार्यो एवं मामलों का निराकरण करना। 3. आरक्षी केन्द्र कोण्डागांव, फरसगांव, अनंतपुर, माकड़ी, बयानार, बड़ेडोंगर, मर्दापाल, उरंदाबेडा, पुंगारपाल के क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रकरणों में धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत कथन एवं संस्वीकृति लेखबद्ध करना तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोण्डागांव जिला कोण्डागांव के संबंध में स्तंभ क्रमांक 03 में वर्णित उनके अधिकारिता रखने वाले आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न संबंधित सत्र प्रकरणों एवं पॉक्सो प्रकरणों में धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत कथन एवं संस्वीकृति लेखबद्ध करना। 4. अवकाश अवधि में स्तंभ क्र०–3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न होने वाले रिमाण्ड कार्य का संपादन। 5. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोण्डागांव के क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्रों के धारा 52 (क)(2) स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदन की कार्यवाही /निराकरण करना।

–:आवश्यक टीपः–

1. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर होने, शासकीय अवकाश दौरे पर होने एवं स्थानांतरण होने एवं अन्य किसी विशेष परिस्थिति में अनुपस्थित रहने पर निम्न सूची अनुसार न्यायिक मजिस्ट्रेटगण अत्यावश्यक कार्य संपादित करेंगे एवं माननीय छत्तीसगढ़ उच्च् न्यायालय बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 14754/

D&A/2023 बिलासपुर दिनांक 08.11.2023 एवं ज्ञापन क्रमांक 15250/D&A/2023 बिलासपुर दिनांक 23.11.2023 के परिपालन में प्रकरणों में उपस्थित साक्षियों का साक्ष्य लेकर प्रकरण संबंधित न्यायालय में प्रेषित किया जाना तथा रिमाण्ड वारंट, वारंट निस्तीकरण, सुपुर्दनामा, जमानत, त्वरित सुनवाई आवेदन के साथ–साथ न्यायिक कार्य के कुशल संचालन एवं पक्षकारों को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े इस कारण संबंधित न्यायिक अधिकारियों के अनुपस्थिति में अभियोग पत्र प्रस्तुत किये जाने पर नियमानुसार उस पर कार्यवाही किया जाना है (जिसमें मामले का अंतिम निराकरण शामिल नहीं है) का निराकरण किया जाना शामिल है–

क्र०	**अवकाश में होने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम**	**अत्यावश्यक कार्य देखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम**
(1)	(2)	(3)
1	श्रीमती रेशमा बैरागी पटेल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोण्डागांव जिला–कोण्डागांव (छ०ग०)	सुश्री सौम्या राय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी केशकाल, जिला कोण्डागांव (छ०ग०)
2	सुश्री सौम्या राय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी केशकाल, जिला कोण्डागांव (छ०ग०)	श्रीमती रेशमा बैरागी पटेल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोण्डागांव जिला–कोण्डागांव (छ०ग०)

2. तालिका स्तंभ क्रं.–2 में दर्शित मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने, शासकीय दौरे पर रहने, मुख्यालय से बाहर रहने या अन्य किसी भी कार्य से अनुपस्थित रहने की स्थिति में उनके न्यायालय का अत्यावश्यक कार्य सम्पादित करने हेतु उपर दिये जा रहे तालिका के स्तंभ क्रं.–3 में दर्शाये गये मजिस्ट्रेट को अधिकृत किया जाता है।

3. टीप क्रं.–1 के अनुसार की उपर दिये जा रहे तालिका अनुसार अगर उपरोक्त किसी कारण से तालिका क्रं.–2 एवं 3 के वर्णित मजिस्ट्रेट एक साथ अनुपस्थित रहने की स्थिति में सिविल जिला नारायणपुर में उपस्थित मजिस्ट्रेट द्वारा अत्याश्यक कार्य किया जावेगा।

4. धारा–215 भा.ना.सु.सं. के तहत लिखित परिवाद उपर दिये गये तालिका के स्तंभ क्रं.–2 में उल्लेखित

न्यायालय से संबंधित होने की स्थिति में उसी तालिका के स्तंभ क्रं.–3 मजिस्ट्रेट के द्वारा संज्ञान में लिये जायेंगे।

5. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, या न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश में रहने पर उनके अधिकारिता वाले आरक्षी केन्द्र क्षेत्रों से संबंधित संक्षिप्त विचारण वाले समस्त प्रकरण उनके अनुपस्थिति में प्रभार वाले मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रस्तुत किये जायेंगे तथा पंजीबद्ध किया जाकर निराकृत किये जायेंगे।

6. उपर लिखी तालिका के अनुसार स्तंभ क्रं.–3 के मजिस्ट्रेट उस प्रकरण के संज्ञान लेने हेतु अधिकृत रहेंगे, जिसमें अभियुक्त जुर्म स्वीकार करना चाहता हो तथा निराकरण करते समय ध्यान रखे कि भा.ना.सु.सं. की धारा–514(2) के उपबंधों की अवहेलना न हो।

7. अत्यावश्यक कार्यों में अन्य न्यायालय से संबंधित प्रकरणों का अभियोग पत्र लेकर अंतिम निराकरण किया जाना शामिल नहीं है, परंतु बीएनएस की धारा 281, 125(A) सहपठित मोटरयान अधिनियम के तहत ऐसे प्रकरण जिनके अभियुक्तगण छ०ग० राज्य से भिन्न अन्य राज्य के निवासी हो एवं स्वेच्छया पूर्वक अपराध की संस्वीकृति करना चाहते हो, मात्र उन्हीं प्रकरणों में अभियोग पत्र लेकर अंतिम निराकरण किया जा सकेगा एवं निराकरण पश्चात इसकी सूचना संबंधित अधिकारिता के दांडिक न्यायालय को लिखित रूप में देंगे। इसी तरह संक्षिप्त विचारण शक्ति प्राप्त मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षिप्त विचारण के प्रकरण का अभियोग पत्र प्राप्त कर निराकृत किया जा सकेगा तथा ऐसे अभियोग पत्र भी ग्रहण किये जा सकेगें, जिनकी विवेचना की अवधि धारा 187 बी०एन०एस०के अंतर्गत समाप्त होने वाली हो।

8. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोण्डागांव के अवकाश पर रहने, शासकीय दौरे पर रहने, मुख्यालय से बाहर रहने या अन्य किसी भी कार्य से अनुपस्थित रहने की स्थिति में उनके द्वारा लिये जा सकने वाले किशोर न्याय बोर्ड से संबंधित विचारणीय प्रकरणों में धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के कथन एवं संस्वीकृति मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नारायणपुर के द्वारा लिया जा सकेगा।

9. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी केशकाल के अवकाश पर रहने शासकीय दौरे पर रहने मुख्यालय से

बाहर रहने या अन्य किसी भी कार्य से अनुपस्थित रहने की स्थिति में उनके द्वारा लिये जा सकने वाले धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के कथन एवं संस्वीकृति मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोण्डागांव द्वारा लिया जावेगा।

10. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोण्डागांव एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी केशकाल के अवकाश पर रहने शासकीय दौरे पर रहने मुख्यालय से बाहर रहने या अन्य किसी भी कार्य से अनुपस्थित रहने की स्थिति में उनके द्वारा लिये जा सकने वाले धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के कथन एवं संस्वीकृति मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नारायणपुर द्वारा लिया जावेगा।

11. कार्य विभाजन आदेश के अनुसार नामांकित न्यायिक मजिस्ट्रेट के स्थानांतरण की दशा में, अन्य आगामी आदेश पर्यन्त, प्रभार में लेने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट, तदनुसार ही कार्य संपादित करेगें।

12. कार्य विभाजन आदेश में किसी बात के होते हुए भी कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट भा०ना०सु०सं० की अनुसूची–1 एवं 2 तथा अन्य अधिनियम में दिये गये प्रावधान से अधिकारिता विहिन कार्यवाही नहीं करेंगे।

13. अवकाश में एवं प्रशिक्षण में जाने से पूर्व प्रत्येक मजिस्ट्रेट प्रभार में कार्य करने वाले तथा मुख्यालय में रहने वाले मजिस्ट्रेट को, अवकाश की सूचना देंगे तथा मुख्यालय से बाहर जाते समय प्रस्थान किये जाने से पूर्व माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश से अनुमति लेकर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सूचित कर प्रस्थान करेंगे।

14. कार्य विभाजन आदेश में यदि ऐसा कोई मामला जो सूची में उल्लेखित नहीं है और उसकी सुनवाई क्षेत्राधिकारिता मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोण्डागांव को प्राप्त है, तो ऐसे प्रकरणों को किसी भी न्यायालय से अंतरित कर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोण्डागांव द्वारा निराकृत किया जावेगा तथा किसी भी मामले को जिसमें संक्षिप्त विचारण के साथ–साथ लंबित प्रकरण, नये अभियोग पत्र भी शामिल है, को किसी भी न्यायालय में अंतरित किया जा सकेगा।

15. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोण्डागांव एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी केशकाल के अवकाश पर या

शासकीय दौरे पर रहने मुख्यालय से बाहर रहने या अन्य किसी भी कार्य से अनुपस्थित रहने की स्थिति में न्यायालय– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नारायपुर जिला नारायणपुर (छ०ग०) द्वारा रिमाण्ड डयूटी/ अतिआवश्यक कार्य सम्पादित किया जा सकेगा।

16. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोण्डागांव एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी केशकाल के अवकाश पर या शासकीय दौरे पर रहने, मुख्यालय से बाहर रहने या अन्य किसी भी कार्य से अनुपस्थित रहने की स्थिति में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोण्डागांव एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी केशकाल के क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्रों के धारा 52 (क)(2) स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदन की कार्यवाही /निराकरण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नारायणपुर के द्वारा किया जावेगा।

17. न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा 52(क)(2) स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के तहत कार्यवाही से पहले सम्पूर्ण विधिक प्रावधानों का पालन व अपनी अधिकारिता के आधार पर कार्यवाही सूनिश्चित करेंगे।

यह कार्य विभाजन आदेश अनुमोदन पश्चात तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

स्थान– कोण्डागांव
दिनांक– 02/04/26

रेशमा बैरागी पटेल
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोण्डागांव जिला कोण्डागांव (छ०ग०)

02.04.26

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोण्डागांव जिला–कोण्डागांव(छ.ग.)

प्रतिलिपिः–

1. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महोदय कोण्डागांव को सादर सूचनार्थ।
2. माननीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.एस.सी.), महोदय कोण्डागांव को सादर सूचनार्थ।
3. माननीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, महोदय कोण्डागांव को सादर सूचनार्थ।
4. माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.), महोदय कोण्डागांव को सादर सूचनार्थ।
5. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नारायणपुर, जिला नारायणपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,केशकाल, जिला कोण्डागांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

7. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला कोण्डागांव को सूचनार्थ।

8. पुलिस अधीक्षक, जिला कोण्डागांव को समस्त आरक्षी केन्द्र को इस संबंध में सूचना प्रेषित कर अग्रिम कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

09. जिला अभियोजन अधिकारी, कोण्डागांव।

10. श्रीमान अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ, कोण्डागांव/केशकाल/नारायणपुर।

11. उपसंचालक, खाद्य एवं औषधि प्रसाधन, कोण्डागांव, जिला कोण्डागांव (छ०ग०)।

12. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, कोण्डागांव जिला कोण्डागांव (छ०ग०)।

13. जिला आबकारी अधिकारी, कोण्डागांव जिला कोण्डागांव (छ०ग०)।

14. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, कोण्डगाांव जिला कोण्डागांव (छ०ग०)।

15. वन संरक्षक कोण्डागांव, जिला कोण्डागांव (छ०ग०)।

16. वन मण्डलाधिकारी दक्षिण वनमण्डल कोण्डागांव एवं वन मंडालाधिकारी केशकाल को समस्त वन परिक्षेत्राधिकारी को सूचना प्रेषित कर अग्रिम कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

17. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोण्डागांव जिला कोण्डागांव (छ०ग०)।

18. उप संचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन कोण्डागांव जिला कोण्डागांव (छ०ग०)।

स्थान– कोण्डागांव
दिनांक– 02/04/26

रेशमा बैसगी पटेल
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोण्डागांव जिला कोण्डागांव छ०ग०